

संख्या

मेरठ विकास प्राधिकरण

की

आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, होटल, बारातघर/बैंकवट हाल, नर्सिंग होम, हैल्थ सेन्टर भू-उपयोग के भूखण्डों एवं शिक्षण संस्थाओं- "नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल/जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व डिग्री कालेज एवं उच्च शैक्षिक संस्थान" की स्थापना के लिये शैक्षिक भूखण्डों को "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर

e-Auction पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तों

की

विवरण पुस्तिका

e-Auction का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का 18 प्रतिशत GST सहित कुल मूल्य रुपये 1180/- मात्र
(विवरण पुस्तिका मूल्य रू 1,000/- + 18 प्रतिशत GST रू 180/-)

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम गुप हाउसिंग, गुप हाउसिंग, होटल, बारातघर/बैंकवट हाल, नर्सिंग होम, हैल्थ सेन्टर भू-उपयोग के भूखण्डों एवं शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल/जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व डिग्री कालेज एवं उच्च शैक्षिक संस्थान” की स्थापना के लिये शैक्षिक भूखण्डों को **e-Auction** पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्तें—

1. भूखण्डों का विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

2. e-Auction में भाग लेने हेतु पात्रता—

(1) गैर आवासीय सम्पत्तियों (शैक्षिक भूखण्डों को छोड़कर) हेतु—

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष होनी चाहिये।

(ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(घ) प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(ङ.) व्यक्तिगत स्वामी।

(च) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।

(ज) एच0यू0एफ0।

(झ) पंजीकृत कर्सोर्टियम(Consortium)फर्म।

(ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।)।

(2) शैक्षिक भूखण्डों हेतु—

(अ) रजिस्टर्ड सोसायटी, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

- (ब) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
- (स) ट्रस्ट, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (रजिस्टर्ड/बिना रजिस्टर्ड)।
- (द) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो तथा जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो)।
3. आवेदक को e-Auction में भाग लेने के लिये निम्नलिखित अभिलेख अपनी टेक्निकल बिड में अपलोड करने होंगे:-
- (1) भूखण्डों की स्वःहस्ताक्षरित विवरण पुस्तिका।
 - (2) निर्धारित Document Fee व EMD के भुगतान की रसीदें।
 - (3) पैन कार्ड की प्रति।
 - (4) आधार/वोटर कार्ड की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (5) कौन्सिल चैक की प्रति।
 - (6) यदि आवेदनकर्ता कम्पनी, फर्म, समिति, ट्रस्ट आदि की ओर से भाग ले रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित छाया प्रति व
 - (7) कम्पनी/फर्म आदि की स्थिति में GST पंजीयन प्रमाण की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
4. प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध e-Auction के निर्धारित प्रोग्राम अनुसार आवेदकों की bids नियत दिनांक को e-Auction Programme में आमन्त्रित है।
5. e-Auction में शामिल सम्पत्तियाँ इस विवरण पुस्तिका में शामिल हैं जो प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।
6. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-Auction हेतु 18 प्रतिशत GST सहित विवरण पुस्तिका शुल्क (Documebtr Fee) रूपये 1180/- मात्र ऑन लाईन भुगतान करना होगा।
7. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जिसका विवरण प्राधिकरण की

वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है, करना होगा। अन्यथा आवेदक e-Auction में भाग नहीं ले सकेगा।

8. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा स्वयं के खाते से ही EMD की धनराशि प्रेषित की जाय तथा असफल होने के पश्चात् उसी खाते में धनराशि वापस प्राप्त होगी।
9. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य के खाते से EMD की धनराशि प्रेषित नहीं की जाय, ऐसा करने पर किसी तकनीकी समस्या/विलम्ब के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. e-Auction के माध्यम से आवेदकों द्वारा दी गयी अपनी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
11. ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियत दिनांक को प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर e-Auction में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित Document Fee व EMD धनराशि का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा कराने के पश्चात् अपनी टेक्निकल बिड्स अपलोड कर दी है केवल वें आवेदक ही e-Auction में भाग ले सकते हैं।
12. आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर अर्थात् निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पूर्व टेण्डर फीस (Document Fee) व EMD की धनराशि प्रेषित करनी होगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर या अन्य तकनीकी कारणों से विलम्ब होने पर यदि आवेदक E-Auction में प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. शैक्षिक भूखण्डों के आवेदकों को तकनीकी ऑफर के साथ, विवरण पुस्तिका, समिति के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक ट्रस्टी हो तो ट्रस्ट का विलेख के अनुसार रूपये 10/- के जनरल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र व प्राधिकरण पक्ष में परीक्षण शुल्क अंकन रूपये 1,000/- **On line** जमा की रसीद अपलोड करना अनिवार्य है जिसका प्राधिकरण द्वारा परीक्षणोंपरान्त आवेदकों को e-Auction अनुमति दी जायेगी।
14. शैक्षिक भूखण्डों के आवेदकों को परीक्षण शुल्क वापस नहीं किया जायेगा परन्तु **On line paid** EMD ऐसे आवेदकों को, जिनका तकनीकी

- आवेदन/वाणिज्य आफर स्वीकृत नहीं होगा, बिना ब्याज बिना कटौती के **On line** शिक्षण संस्था के खाते में वापस कर दी जायेगी।
15. ऐसे आवेदकों-समितियों/ट्रस्ट की जमा धरोहर जब्त कर ली जायेगी जिनके पक्ष में शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी कर दिया गया हो और समिति/ट्रस्ट द्वारा आवंटन धनराशि जमा न कर पाने के कारण भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया हो अथवा किसी भी किश्त की देयता पर शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया हो और ऐसे आवेदकों को पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
 16. यदि कोई आवंटी शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन निरस्त कराना चाहे अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी भी किश्त की बकायादारी पर प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जाये तो धरोहर राशि जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि में **15%** की कटौती करते हुए उनकी जमा धनराशि वापस की जायेगी।
 17. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त भूखण्डों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक भूखण्ड के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् प्रति वर्ग मीटर बिड MINIMUM PER SQM BID for Auction का उल्लेख है तथा रिक्त दुकानों की तालिका के अन्तिम कॉलम में दुकान के मूल्य के सापेक्ष प्रत्येक दुकान के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् बिड MINIMUM BID for Auction उल्लिखित है। आवेदकों द्वारा विवरण पुस्तिका की तालिका में प्रति वर्ग मीटर की न्यूनतम् बिड (MINIMUM PER SQM BID) एवं दुकानों के सम्मुख उल्लिखित दुकान की कीमत के सापेक्ष (MINIMUM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेगें। अतः आवेदक द्वारा अपनी न्यूनतम् बिड के बराबर अथवा उससे ऊपर अपनी बिड दी जा सकेगी।
 18. सम्पत्ति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को विवरण पुस्तिका डाउनलोड करके सभी सूचनाओं सहित स्वः हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन कापी e-Auction में भाग लेने के लिये प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर अपलोड करनी होगी। सफल आवेदको को जिनकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी उनको, स्वीकृति पत्र जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उक्त समस्त स्वः हस्ताक्षरित, लोड किये गये प्रपत्रों की प्रति (Hard Copy), प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।
 19. e-Auction की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् e-Auction समिति द्वारा आवेदकों द्वारा e-Auction में दी गयी दरों के प्रपत्र डाउनलोड करके आवेदकों की प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा। आवेदकों की उच्चतम् दर के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार

करते हुए उच्चतम् दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

20. e-Auction के माध्यम से प्राप्त दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय तक उच्चतम् दर देने वाले आवेदक/e-Auction पद्धति से उच्चतम् दर देने वाले आवेदक की जमा धरोहर राशि (EMD), e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा रहेगी। उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को छोड़कर शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि (EMD) उनके खाते में RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी।
21. आवेदक जिस भूखण्ड/भवन/दुकान के सापेक्ष निर्धारित Document Fee & EMD धनराशि अपने खाते से भुगतान कर अपनी टेक्निकल बिड अपलोड करेगा, वह उसी सम्पत्ति पर e-Auction में अपनी bids देने के लिये अधिकृत होगा। एक से अधिक सम्पत्ति हेतु प्रतिभाग करने के लिये आवेदकों का अपना रजिस्ट्रेशन कराकर प्रत्येक सम्पत्ति के लिये पृथक-पृथक डोकुमेन्ट फीस व पृथक-पृथक EMD जमा करनी होगी।
22. e-Auction में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक आवेदक को e-Auction के नियत दिनांक को उनके नाम की विशिष्ट पहचान कम्प्यूटर द्वारा दी जायेगी।
23. हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स के भूखण्ड आवेदकों को e-Auction में भाग लेने के लिये आवेदक एम0बी0बी0एस0 डिग्री प्राप्त चिकित्सक होना चाहिए। यदि आवेदनकर्ता समिति, ट्रस्ट अथवा कम्पनी आदि की ओर से भाग ले रहे हैं, तो उसका एक सदस्य एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारक होना अनिवार्य है तथा हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, भी इसके साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। यदि आवेदक ने पूर्व में या वर्तमान में कोई हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम चलाया हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण भी इसके साथ संलग्न किया जायेगा। व्यक्ति/संस्था को अपनी वित्तीय स्थिति (हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
24. आवेदकों के पक्ष में e-Auction पद्धति से भूखण्ड आवंटित हो जाने के पश्चात्, "भूखण्ड का फ्रीहोल्ड सहित मूल्य" अथवा "लीजरैन्ट सहित

मूल्य” पचास लाख या उससे अधिक होने की स्थिति “भूखण्ड के फ्रीहोल्ड सहित मूल्य” अथवा “लीजरैन्ट सहित मूल्य” पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा 194IA के अन्तर्गत देय 01 (एक) प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि आवेदकों द्वारा स्वयं चालान के माध्यम से मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पेन नं0 **AAALM0124D** पर निर्धारित समय अवधि (आवंटन-कम-किश्त निर्गत दिनांक से 30 दिन के अन्दर) में ही जमा कराते हुए चालान की प्रति/रसीद प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी होगी। सम्पत्ति के आवंटन-कम-किश्त में उल्लिखित आवंटन धनराशि व सब्याज निर्धारित देय किश्तें तथा अन्य देय धनराशि जो प्राधिकरण कार्यालय द्वारा सूचित की गयी हो, सफल आवेदकों द्वारा प्राधिकरण परिसर स्थित इण्डियन बैंक (**Details For RTGS Account No. 21066035769, IFSC CODE : IDIB000M679**) में अथवा एच0डी0एफ0सी0बैंक, सूर्यान्श प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ (**Details For RTGS Account No. 50100056171918, IFSC CODE : HDFC0001911**) उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट जो मेरठ में देय हो, के द्वारा जमा करते हुए, जमा रसीद की छाया प्रति सम्बन्धित सम्पत्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

25. औद्योगिक भूखण्ड, लघु उद्योग कम आवासीय श्रेणी के भूखण्डों को छोड़कर शेष भूखण्डों, दुकान आदि का आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि के बजाय शत प्रतिशत **(100%)** भुगतान पर आवंटन दर से आंकलित मूल्य पर 2 (दो) प्रतिशत की छूट दी जायेगी। देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में वास्तविक अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।
26. मेरठ विकास प्राधिकरण से e-Auction पद्धति से आवंटित औद्योगिक भूखण्ड का कब्जा अनुबन्ध/रजिस्ट्री कराने से पूर्व आवेदक को, औद्योगिक विभाग में एस0एस0आई0 यूनिट के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
27. (1) प्रतिभागी द्वारा e-Auction में दी गयी उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ-1-14-30विविध /2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा। आवेदकों को उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन कम किश्त पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि {धरोहर राशि

(EMD) का समयोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में और जमा करनी होगी तथा भूखण्डों की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में 13.00% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। पहली छमाई किश्त, आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छः माह में देय होगी। तदनुसार ही शेष अगली 5 छमाई किश्तें 6-6 माह के अन्तराल पर भी देय होगी। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण आवंटन कम किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा। देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 16.00% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।

तथा

- (2) शैक्षिक भूखण्डों के आवंटियों को आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष भूखण्ड की जमा EMD धनराशि का समयोजन करते हुए शुद्ध 25 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र जारी दिनांक से 01 माह की अवधि के अन्दर तथा भूखण्ड की शेष 75% धनराशि 5 समान वार्षिक किश्तों में 13.00% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। पहली वार्षिक किश्त आवंटन धनराशि के देय दिनांक से एक वर्ष में देय होगी। तदनुसार ही शेष अगली 4 वार्षिक किश्तें एक-एक वर्ष के अन्तराल पर देय होगी। देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 16.00% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।
 - (3) यदि शैक्षिक भूखण्ड के आवंटी द्वारा भूखण्ड का आवंटन निर्गत होने पर भूखण्ड की जमा EMD धनराशि का समयोजन करते हुए शुद्ध 25% धनराशि के बजाय कुल देय प्रीमियम का भुगतान अर्थात् शत प्रतिशत (100%) भुगतान पर आवंटन दर से आंकलित मूल्य पर 5 (पाँच) प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
 - (4) सम्पत्ति का आवंटन-कम-किश्त पत्र निर्गत होने के साथ-साथ आवेदक को प्रोपर्टी कोड/आईडी प्राप्त करायी जायेगी, जो विशिष्ट कोड होगा। आवेदक द्वारा आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष कोई भी धनराशि अथवा किश्त जमा करते समय रसीद पर प्रोपर्टी कोड का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
28. e-Auction का स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा एवम् एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) निरस्त सम्पत्ति बहाल नहीं कराता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

29. शैक्षिक भूखण्डों को छोड़कर अन्य गैर आवासीय सम्पत्तियों का विधिवत् आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि का **25%** धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई धनराशि वापस की जायेगी।
30. शैक्षिक, गैर आवासीय सम्पत्ति के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम दरदाता (**Highest bidder**)/आवेदक, निरस्तशुदा भूखण्ड को बहाल नहीं कराता है तो प्रश्नगत शैक्षिक भूखण्ड, गैर आवासीय सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जायेगा। यदि उच्चतम दरदाता (**Highest bidder**)/आवेदक, शैक्षिक भूखण्ड, गैर आवासीय सम्पत्ति के निरस्तीकरण के उपरान्त एक माह में सम्पत्ति की बहाली कराना चाहे तो दिनांक 07-12-2016 को सम्पन्न 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयानुसार बहाली प्रक्रिया अपनाकर भूखण्ड की बहाली की जायेगी तथा भूखण्ड की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।:-

मद सं०-08	प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिड्यूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय लिया गया— (1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किश्तों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय। (2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।
-----------	---	--

31. कब्जा हस्तान्तरण—

(अ) शैक्षिक भूखण्ड को छोड़कर शेष आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का **12%** फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा तथा हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम के आवंटी को **10%** लीजरेन्ट की धनराशि, लोकेशन चार्जज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त पट्टा विलेख पंजीकृत कराकर कब्जा दिया जायेगा।

(ब) शैक्षिक भूखण्ड को छोड़कर शेष आवंटित सम्पत्ति के किशतों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर सम्पत्ति का कब्जा 25% (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा। फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किशत पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं० 72/3488/आठ-1-14-30 विविध/2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किशतों के चलते हुए मध्यावधि में कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक की देय किशतों की धनराशि अप-टू-डेट जमा करने, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का **12%** फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(द) हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स, बारातघर व बैंकवट हाल के भूखण्ड का आवंटन, लीज आधार पर होगा जिसके कब्जा अनुबन्ध/पट्टा विलेख इनमें से जो भी पहले निष्पादित हो, के समय 90 वर्ष की अवधि हेतु भूखण्ड मूल्य का **10%** लीजरेन्ट की धनराशि जमा करनी होगी शेष नियम शर्तें अन्य सम्पत्तियों की भाँति रहेगी।

(य) शैक्षिक भूखण्डों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर भूखण्ड मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि, 90 वर्ष की अवधि हेतु भूखण्ड मूल्य का **10%** लीजरेन्ट की धनराशि, पानी सीवर चार्ज, दस्तावेज शुल्क, यदि भूखण्ड कॉर्नर का है तो भूखण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज, भूखण्ड मूल्य+कॉर्नर चार्ज पर देय 10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि जमा कराकर नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी पर किराया किशत क्रय अनुबन्ध के निष्पादन उपरान्त भूखण्ड का कब्जा दिया जायेगा। शैक्षिक भूखण्ड के पट्टा विलेख के निष्पादन के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। शैक्षिक भूखण्ड की पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् शैक्षिक भूखण्ड का पट्टा विलेख निष्पादित कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रूपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

(र) शैक्षिक भूखण्ड के आवंटियों को राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित शैक्षिक विभाग से शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

32. शैक्षिक भवन का निर्माण:-

आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

33. शैक्षिक भवन के निर्माण की अवधि:-

शैक्षिक भूखण्ड धारक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह कब्जा प्राप्ति तिथि/पट्टा विलेख निष्पादित करने की तिथि जो भी पहले हो, से 3 वर्ष के अन्दर शैक्षिक भवन का निर्माण पूर्ण करके शिक्षण संस्था चलाने का कार्य आरम्भ कर दें अन्यथा/अथवा उनका आवंटन उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसी दशा में कुल जमा धनराशि में से धरोहर राशि जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि का 15% कटौती के पश्चात् बची हुई धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

34. शैक्षिक भूखण्ड का प्रयोग:-

आवंटित भूखण्ड का प्रयोग केवल निर्धारित शिक्षण संस्था चलाये जाने के लिये ही किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि शैक्षिक भूखण्ड का प्रयोग अन्यथा किया जा रहा है तो उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी को आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

35. कर आदि की देयता:-

शैक्षिक भूखण्ड धारक द्वारा समस्त करों का भुगतान किया जायेगा।

36. प्रबन्ध समिति:-

प्रबन्ध समिति में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के सचिव भी शिक्षण संस्था संचालन प्रबन्ध समिति का सदस्य होंगे।

37. प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31-5-2005 के मद सं0 9 के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित शैक्षिक भूखण्डों तथा प्राधिकरण सीमा में स्वीकृत होने वाले विद्यालयों/महा विद्यालयों में प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से दाखिला तथा प्राधिकरण से रियायती दरों पर पूर्व में आवंटित व भविष्य में आवंटित होने वाले शैक्षिक भूखण्डों में निर्मित विद्यालयों/महाविद्यालयों में, प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/समस्त कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में 50% छूट दी जाय। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि यह सुविधा प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों को भी दी जाये। तदनुसार आवंटी-समिति/ट्रस्ट द्वारा यह सुविधा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के बच्चों को उपलब्ध करानी होगी जिस पर उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी-समिति

/ट्रस्ट सदैव कायम रहेगा और उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी-समिति/ट्रस्ट द्वारा ऐसा न करने पर उसके पक्ष में हुए आवंटन को, बिना किसी सूचना के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

38. शैक्षिक भूखण्डों के सफल आवेदकों को "निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" अधीन वर्तमान में लागू शासनादेश एवं भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
39. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त देय स्टाम्प देयता का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रूपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
40. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10% धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। भूखण्ड कार्नर का होने की दशा में उच्चतम दर का 10% कार्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा जिसको फ्रीहोल्ड चार्ज की भाँति, भूखण्ड की कीमत में शामिल करते हुए किश्तें निर्धारित की जायेगी।
41. भूखण्ड की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्जेज शासनादेश के अनुसार देय होंगे।
42. फ्रीहोल्ड चार्ज का 12% अंश सम्पत्ति के सकल मूल्य में जोड़कर ही सामान्य किश्तों के रूप में लिया जायेगा।
43. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।
44. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवम् विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों, उप-नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।
45. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
46. परिसम्पत्तियों का आवंटन "जहाँ है, जैसा है" पद्धति पर किया जायेगा।

47. अन्य शर्तें—

- (1) **e-Auction** में उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा जारी/निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।
- (2) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।
- (3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये **e-Auction** पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को **e-Auction** से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
- (5) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।
- (6) विक्रीत भूखण्ड पर भवन निर्माण, मेरठ महायोजना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन 2017 के प्राविधानों एवं शासनादेश के अनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण से मानरचित्र कराकर ही अनुसार अनुमन्य होगा।
- (7) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर

एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

e-Auction में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा—

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

.....
आवेदक के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:—

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

मो0नं0 व

Email id :

पता.....

.....

.....

(केवल शैक्षिक भूखण्ड के आवेदकों के लिये)
शैक्षिक भूखण्डों के आवंटन हेतु तकनीकी अर्हताओं का मूल्यांकन—

क्र०
सं०

वाँछित प्रपत्र

1. शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु पंजीकृत संस्था/कम्पनी/सोसायटी/ट्रस्ट का विवरण एवं पंजीकरण की अवधि/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
2. शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति/गतिविधियों का विवरण दिया जायेगा, संलग्न करें।
3. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा पूर्व में चलायी गयी शिक्षण संस्था का विवरण संलग्न करें।
4. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा अपनी शिक्षण संस्था से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति के आंकलन हेतु विगत तीन वर्षों की चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट की प्रति संलग्न करें।
5. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट भूखण्ड की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा (लिक्विड असेस्टस) का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट में कार्यरत् शैक्षिक स्टाफ, अध्यापक एवं अध्ययनरत् छात्रों आदि का विवरण निम्न प्रारूप पर संलग्न करें—

शिक्षण संस्था हेतु पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट में कार्यरत् स्टाफ आदि का विवरण

क्र० सं०	कार्यरत् शिक्षण संस्था का नाम	कार्यरत् अध्यापक	अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या	कार्यरत् अन्य स्टाफ

(केवल शैक्षिक भूखण्ड के आवेदकों के लिये)

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल, हाईस्कूल, डिग्री कालेज एवं मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट” की स्थापना के लिये तकनीकी ऑफर का प्रारूप

1. योजना का नाम
 सैक्टर व पॉकेट व आवेदित भूखण्ड सं०
 क्षेत्रफल वर्ग मीटर

आवेदक का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो

(यदि आवेदनकर्ता—समिति/ट्रस्ट एक से अधिक योजना में अथवा एक से अधिक भूखण्डों स्कूल स्थापित करने की लिये इच्छुक हो तो उसे प्रत्येक आवेदित शैक्षिक भूखण्ड के तकनीकी आवेदन पत्र व वाणिज्य ऑफर, नीलामी आवेदन पत्र अलग-अलग विवरण पुस्तिका क्रय करके प्रस्तुत करना होगा।)

2. समिति/ट्रस्ट के पदाधिकारी का नाम व पता जिसके माध्यम से समिति/ट्रस्ट की ओर से भूखण्ड के आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है—
3. आवेदनकर्ता समिति/ट्रस्ट का नाम
4. (क) समिति इनमें से किसके अन्तर्गत आती है—रजिस्टर्ड सोसायटी/रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी/ट्रस्ट/अन्य और यदि इनसे भिन्न है, का विवरण
- (ख) पंजीकरण संख्या व रजिस्ट्रेशन का वर्ष
 पंजीकरण/नवीनीकरण कब से कब तक की अवधि के लिये मान्य है दिनांक से दिनांक तक
- (ग) समिति/ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पता:—
- (घ) समिति/ट्रस्ट के कार्यालय का टेलीफोन नम्बर: कार्यालय फैक्स
- (ङ) प्रबन्धकारीणी सदस्यों के नाम व पते, शैक्षिक योग्यता व उनके व्यवसाय व पते

(कृपया पूर्ण विवरण सहित सूची आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय)

5. परीक्षण शुल्क के रूप में जमा धनराशि रुपये 1,000/- का विवरण —बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे—आर्डर संख्या जारीकर्ता बैंक का नाम
6. आवेदक द्वारा विवरण पुस्तिका प्राधिकरण की वेबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका शुल्क रुपये 1,000/- अदा करने हेतु संलग्न किये जा रहे बैंक ड्राफ्ट की संख्या दिनांक जारीकर्ता बैंक का नाम
7. जमा धरोहर राशि का विवरण:— बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे—आर्डर संख्या दिनांक रुपये जारीकर्ता बैंक का नाम
8. प्रस्तावित शिक्षण संस्था/स्कूल का निर्माण किस वित्तीय श्रोत्रों से प्रस्तावित है :-
(इसके प्रमाण में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।)
9. आवेदित भूमि के कितने क्षेत्रफल पर निर्माण प्रस्तावित है:—

10. प्रस्तावित शिक्षण संस्था में विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी:-
-
-
11. प्रस्तावित शिक्षण संस्था का निर्माण कब तक किया जाना प्रस्तावित है
12. प्रस्तावित शिक्षण संस्था के निर्माण के उपरान्त कब से चालाया जाना प्रस्तावित है
13. अन्य विवरण:-
-
-

नोट:-

- (1) शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न करें।
- (2) यदि आवेदन ने पूर्व में या वर्तमान में कोई शिक्षण संस्था चलायी हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न किया जाये।
- (3) व्यक्ति/संस्था अपनी वित्तीय स्थिति (शिक्षण संस्था से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न करें।
- (4) ऐसे तकनीकी ऑफर, जिनके साथ परीक्षण शुल्क एवम् पंजीकरण धनराशि के बैंक ड्रापट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर संलग्न नहीं होगा, बिना कारण बतायें निरस्त कर दिये जायेंगे।

घोषणा:-

मैंने पंजीकरण हेतु दी गयी समस्त शर्तें पढ़ ली हैं, जो मुझे मान्य हैं।

.....

आवेदनकर्ता पदाधिकारी के हस्ताक्षर
व समिति/ट्रस्ट की मोहर।

x-x-x-x-

Program for e-auction					
Sr. No.	Actions/Activities	Start Date & Time		Expiry Date & Time	
1.	Online Registration, Application,	25-05-2023	11.00 Hrs.	--	--
2.	Downloading & uploading of documents and payment of EMD and Processing fee etc. for e-Auction on Website	29-05-2023	11.00 Hrs.	12-06-2023	17.00 Hrs.
3.	Submission of online Technical BID	29-05-2023	11.00 Hrs.	13-06-2023	17.00 Hrs.
4.	Opening & scrutiny of Application and Uploaded documents	14-06-2023	11.00 Hrs.	--	--
5.	e-Auction	16-06-2023	11.00 Hrs.		14.00 Hrs.
		{Unlimited Auto extension of 5(five) minutes interval will be available if required}			
6.	Opening of documents	--	--	16-06-2023	15.00 Hrs.

Schemewise Detail of Non Residential Plots.

Sl. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA IN SQM.	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE PER SQM.	RESERVE VALUE IN RUPEES	EMD IN RUPEES	MINIMUM PER SQM BID for Auction
DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME								
1	B	BC-12	2960.90	Commercial	31400	92972260	9297226	314
2	E	GH-1	4050.00	Group Housing	23550	95377500	9537750	236
3	E	GH-2	3801.00	Group Housing	23550	89513550	8951355	236
4	E	E/C-2	1052.60	Commercial	31400	33051640	3305164	314
5	E	E/C-3	203.04	Commercial	31400	6375456	637546	314
6	E	E/C-4	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
7	E	E/C-5	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
8	E	E/C-6	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
9	E	E/C-9	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
10	E	E/C-10	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
11	E	E/C-11	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
12	E	E/C-12	203.04	Commercial	31400	6375456	637546	314
13	E	E/C-19	163.26	Commercial	31400	5126364	512636	314
14	E	E/C-20	162.18	Commercial	31400	5092452	509245	314
15	E	E/C-21	160.92	Commercial	31400	5052888	505289	314
16	E	E/C-23	209.43	Commercial	31400	6576102	657610	314
17	E	E/C-24	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
18	E	E/C-25	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
19	E	E/C-26	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
20	E	E/C-27	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
21	E	E/C-28	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
22	E	E/C-30	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
23	E	E/C-31	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314

24	E	E/C-32	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
25	E	E/C-33	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
26	E	E/C-34	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
27	E	E/C-35	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
28	E	E/C-36	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
29	E	E/C-40	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
30	E	E/C-41	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
31	E	E/C-42	162.00	Commercial	31400	5086800	508680	314
32	I	CON.SHOPs	2418.00	CON.SHOP	31400	75925200	7592520	314
33	L	Commr	1650.00	Commercial	31400	51810000	5181000	314
34	L	Bank Post Office	1200.00	Bank Post Office	23550	28260000	2826000	236
35	L	Municipal Services	1184.00	Municipal Services	31400	37177600	3717760	314
36	M	Commr Facilities	1250.00	Commr Facilities	31400	39250000	3925000	314
37	M	Commr	3400.00	Commercial	31400	106760000	10676000	314
DEFENCE ENCLAVE HOUSING SCHEME								
38	B	BC-08	285.60	Commercial Com Residential	54000	15422400	1542240	540
39	B	BC-13	275.00	Commercial Com Residential	59400	16335000	1633500	594
40	B	BC-14	202.50	Commercial Com Residential	54000	10935000	1093500	540
41	B	BC-17	202.50	Commercial Com Residential	54000	10935000	1093500	540
42	B	BC-19	253.13	Commercial Com Residential	59400	15035922	1503592	594
43	B	BC-20	275.00	Commercial Com Residential	59400	16335000	1633500	594
44	B	BC-24	202.50	Commercial Com Residential	54000	10935000	1093500	540
45	B	BC-27/1	178.23	Commercial Com Residential	54000	9624420	962442	540
46	B	BC-34	303.60	Commercial Com Residential	45000	13662000	1366200	450
47	B	BC-35	359.37	Commercial Com Residential	49500	17788815	1778882	495

48	B	COMMR	2000.00	SHOPPING CENTRE	49500	99000000	9900000	495
SHRADHAPURI PHASE-1 HOUSING SCHEME								
49	4	C-04	520.00	Commercial	51700	26884000	2688400	517
SHRADHAPURI PHASE-2 HOUSING SCHEME								
50	A	C-7	187.00	Commercial	55000	10285000	1028500	550
51	C	CP-03	3100.00	Commercial	67000	207700000	20770000	670
52	C	CP-03/1	3105.00	Commercial	67000	208035000	20803500	670
53	C	POST OFFICE	171.00	POST OFFICE	35250	6027750	602775	353
54	C	CC-13	148.75	Commercial	47000	6991250	699125	470
55	C	CC-14	148.75	Commercial	47000	6991250	699125	470
56	C	CC-15	160.65	Commercial	51700	8305605	830561	517
57	C	CC-17	148.75	Commercial	47000	6991250	699125	470
58	C	CC-18	148.75	Commercial	47000	6991250	699125	470
59	C	CS-2	254.37	CON.SHOP	51700	13150929	1315093	517
60	D	CS-02	600.00	CON.SHOP	51700	31020000	3102000	517
PALLAV PURAM HOUSING SCHEME								
61	H	CON.SHOP	450.00	CON.SHOP	48400	21780000	2178000	484
62	I	CON.SHOP	550.00	CON.SHOP	48400	26620000	2662000	484
SANIK VIHAR HOUSING SCHEME								
63	B	CS	1139.00	CON.SHOP	39600	45104400	4510440	396
GANGA NAGAR HOUSING SCHEME								
64	B	C-02	1500.00	Commercial	62000	93000000	9300000	620
65	B	C-03	1500.00	Commercial	62000	93000000	9300000	620
66	B	C-04	1583.30	Commercial	68200	107981060	10798106	682
67	CP	CP-03	5588.00	Commercial	76800	429158400	42915840	768
68	CP	CP-05	1000.00	Commercial	51260	51260000	5126000	513
69	CP	CP-06	1000.00	Commercial	51260	51260000	5126000	513
70	CP	CP-07	1000.00	Commercial	51260	51260000	5126000	513
71	CP	CP-08	1000.00	Commercial	51260	51260000	5126000	513
72	CP	CP-09	1000.00	Commercial	51260	51260000	5126000	513
73	H	Health CENTRE	10495.00	Health CENTRE	30360	318628200	31862820	304
74	I	Health CENTRE	500.00	Health CENTRE	21450	10725000	1072500	215
75	I	C-1	240.00	Commercial	42900	10296000	1029600	429
76	I	C-2	180.00	Commercial	39000	7020000	702000	390
77	I	C-3	180.00	Commercial	39000	7020000	702000	390
78	I	C-4	180.00	Commercial	39000	7020000	702000	390
79	I	C-5	180.00	Commercial	39000	7020000	702000	390
80	J	C-1	2500.00	Commercial	42000	105000000	10500000	420

81	H	POST OFFICE	700.00	POST OFFICE	32175	22522500	2252250	322
82	K	C-1	800.00	Commercial	46800	37440000	3744000	468
83	M	C-1	400.00	Commercial	46800	18720000	1872000	468
84	N	C-2	530.00	Commercial	46800	24804000	2480400	468
85	NP	C-4/1	4089.50	Commercial	46800	191388600	19138860	468
86	NP	C-4/2	4089.50	Commercial	46800	191388600	19138860	468
87	P	COMMUNITY CENTRE	3150.00	COMMUNITY CENTRE	21450	67567500	6756750	215
88	P	BANK & POST OFFICE	2500.00	BANK & POST OFFICE	32175	80437500	8043750	322
89	P	CON.SHOP	1125.00	CON.SHOP	42900	48262500	4826250	429
90	V	C-1/2	200.00	Commercial	39000	7800000	780000	390
91	V	C-1/3	200.00	Commercial	39000	7800000	780000	390
92	V	C-1/4	200.00	Commercial	39000	7800000	780000	390
93	V	C-1/5	200.00	Commercial	39000	7800000	780000	390
94	V	C-1/6	200.00	Commercial	39000	7800000	780000	390
95	V	C-1/7	200.00	Commercial	39000	7800000	780000	390
96	V	C-1/8	200.00	Commercial	39000	7800000	780000	390
97	V	C-1/9	200.00	Commercial	39000	7800000	780000	390
98	V	C-1/10	200.00	Commercial	39000	7800000	780000	390
99	V	C-1/11	200.00	Commercial	39000	7800000	780000	390
100	V	C-2	3248.70	Commercial	42900	139369230	13936923	429
RAKSHA PURAM HOUSING SCHEME								
101	1	C-8	3043.00	COMMERCIAL COM GROUP HOUSING	52580	160000940	16000094	526
102	1	C-11	1000.00	Commercial	47800	47800000	4780000	478
103	1	C-2/10	150.00	Commercial	47800	7170000	717000	478
104	1	C-2/12	150.00	Commercial	47800	7170000	717000	478
105	1	C-2/13	150.00	Commercial	47800	7170000	717000	478
106	1	C-2/14	150.00	Commercial	47800	7170000	717000	478
107	4	CS	305.00	CON.SHOP	57360	17494800	1749480	574
PANDAV NAGAR HOUSING SCHEME								
108	G	PART-B	212.00	COMMERCIAL	63580	13478960	1347896	636
VED VYAS PURI HOUSING SCHEME								
109	1	POST OFFICE	900.00	POST OFFICE	30000	27000000	2700000	300
110	1	LOCAL SHOPPING	2550.00	LOCAL SHOPPING	40000	102000000	10200000	400
111	2B	COMMUNITY CENTRE	3200.00	COMMUNITY CENTRE	22000	70400000	7040000	220
112	2C	COMMERCIAL CENTRE	4690.00	COMMERCIAL CENTRE	44000	206360000	20636000	440

113	2	I.T.P.-1	9475.00	IT PARK	50400	477540000	47754000	504
114	2	I.T.P.-2	9208.00	IT PARK	42000	386736000	38673600	420
115	3	C-2	1222.00	Commercial	40000	48880000	4888000	400
116	3	C-3	1119.87	Commercial	40000	44794800	4479480	400
117	3	C-4	1398.70	Commercial	44000	61542800	6154280	440
118	3	C-5	1510.00	Commercial	44000	66440000	6644000	440
119	3	C-6	1250.00	Commercial	40000	50000000	5000000	400
120	3	C-7	1250.00	Commercial	40000	50000000	5000000	400
121	3	C-9	12309.55	Commercial	46200	568701210	56870121	462
122	3	C-9/1	336.75	Commercial	40000	13470000	1347000	400
123	3	C-9/4	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
124	3	C-9/5	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
125	3	C-9/6	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
126	3	C-9/7	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
127	3	C-9/8	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
128	3	C-9/9	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
129	3	C-9/10	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
130	3	C-9/11	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
131	3	C-9/12	336.75	Commercial	40000	13470000	1347000	400
132	3	C-10	3680.97	Commercial	42000	154600740	15460074	420
133	3	C-10/1	3680.97	Commercial	42000	154600740	15460074	420
134	3	C-11	3680.97	Commercial	42000	154600740	15460074	420
135	3	C-12	6322.38	Commercial	50400	318647952	31864795	504
136	3	C-13	767.62	Commercial	46200	35464044	3546404	462
137	3	C-14	657.98	Commercial	42000	27635160	2763516	420
138	3	C-15	706.15	Commercial	42000	29658300	2965830	420
139	3	C-16	756.67	Commercial	42000	31780140	3178014	420
140	3	C-17	1046.07	Commercial	46200	48328434	4832843	462
141	3	C-18	390.75	Commercial	46200	18052650	1805265	462
142	3	C-19	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
143	3	C-20	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
144	3	C-21	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
145	3	C-22	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
146	3	C-23	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
147	3	C-24	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
148	3	C-25	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
149	3	C-26	250.00	Commercial	40000	10000000	1000000	400
150	3	C-27	390.75	Commercial	44000	17193000	1719300	440
151	3	C-28	367.50	Commercial	44000	16170000	1617000	440
152	3	C-29	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
153	3	C-30	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400

154	3	C-31	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
155	3	C-32	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
156	3	C-33	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
157	3	C-34	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
158	3	C-35	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
159	3	C-36	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
160	3	C-37	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
161	3	C-38	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
162	3	C-39	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
163	3	C-40	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
164	3	C-41	367.50	Commercial	44000	16170000	1617000	440
165	3	C-42	367.50	Commercial	44000	16170000	1617000	440
166	3	C-43	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
167	3	C-44	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
168	3	C-45	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
169	3	C-46	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
170	3	C-47	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
171	3	C-48	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
172	3	C-51	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
173	3	C-53	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
174	3	C-54	245.00	Commercial	40000	9800000	980000	400
175	3	C-56	369.30	Commercial	44000	16249200	1624920	440
176	3	C-57	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
177	3	C-58	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
178	3	C-59	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
179	3	C-60	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
180	3	C-61	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
181	3	C-62	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
182	3	C-63	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
183	3	C-64	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
184	3	C-65	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
185	3	C-66	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
186	3	C-67	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
187	3	C-68	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
188	3	C-69	369.30	Commercial	44000	16249200	1624920	440
189	3	C-70	368.70	Commercial	44000	16222800	1622280	440
190	3	C-71	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
191	3	C-72	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
192	3	C-73	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
193	3	C-74	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
194	3	C-75	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400

195	3	C-76	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
196	3	C-77	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
197	3	C-78	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
198	3	C-79	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
199	3	C-80	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
200	3	C-81	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
201	3	C-82	245.80	Commercial	40000	9832000	983200	400
202	3	C-83	368.70	Commercial	44000	16222800	1622280	440
203	3	C-84	372.30	Commercial	44000	16381200	1638120	440
204	3	C-85	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
205	3	C-86	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
206	3	C-87	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
207	3	C-88	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
208	3	C-89	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
209	3	C-90	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
210	3	C-91	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
211	3	C-92	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
212	3	C-93	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
213	3	C-94	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
214	3	C-95	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
215	3	C-96	248.20	Commercial	40000	9928000	992800	400
216	3	C-97	372.30	Commercial	44000	16381200	1638120	440
217	3	C-98	369.30	Commercial	44000	16249200	1624920	440
218	3	C-99	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
219	3	C-100	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
220	3	C-101	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
221	3	C-102	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
222	3	C-103	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
223	3	C-104	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
224	3	C-105	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
225	3	C-106	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
226	3	C-107	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
227	3	C-108	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
228	3	C-109	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
229	3	C-110	246.20	Commercial	40000	9848000	984800	400
230	3	C-111	369.30	Commercial	44000	16249200	1624920	440
231	3	C-118	245.00	Commercial	42000	10290000	1029000	420
232	3	C-119	245.00	Commercial	42000	10290000	1029000	420
233	3	C-121	245.00	Commercial	42000	10290000	1029000	420
234	3	C-123	245.00	Commercial	42000	10290000	1029000	420
235	3	C-127	245.00	Commercial	42000	10290000	1029000	420

236	3	C-130	245.00	Commercial	42000	10290000	1029000	420
237	3	C-131	245.00	Commercial	42000	10290000	1029000	420
238	3	C-132	245.00	Commercial	42000	10290000	1029000	420
239	3	C-133	245.00	Commercial	42000	10290000	1029000	420
240	3	C-134	245.00	Commercial	42000	10290000	1029000	420
241	3	C-138	245.00	Commercial	42000	10290000	1029000	420
242	3	C-139	367.50	Commercial	46200	16978500	1697850	462
243	3	OF-17	562.50	Office Use	31500	17718750	1771875	315
244	3	OF-23	562.50	Office Use	31500	17718750	1771875	315
245	3	OF-24	562.50	Office Use	31500	17718750	1771875	315
246	3	OF-28	917.41	Office Use	34650	31788257	3178826	347
247	3	OF-29	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
248	3	OF-30	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
249	3	OF-31	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
250	3	OF-32	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
251	3	OF-33	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
252	3	OF-34	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
253	3	OF-35	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
254	3	OF-36	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
255	3	OF-37	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
256	3	OF-38	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
257	3	OF-39	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
258	3	OF-40	336.45	Office Use	30000	10093500	1009350	300
259	3	OF-41	448.60	Office Use	33000	14803800	1480380	330
260	3	OF-44	337.05	Office Use	30000	10111500	1011150	300
261	3	OF-45	337.05	Office Use	30000	10111500	1011150	300
262	3	OF-46	337.05	Office Use	30000	10111500	1011150	300
263	3	OF-47	337.05	Office Use	30000	10111500	1011150	300
264	3	OF-48	337.05	Office Use	30000	10111500	1011150	300
265	3	OF-49	337.05	Office Use	30000	10111500	1011150	300
266	3	OF-50	337.05	Office Use	30000	10111500	1011150	300
267	3	OF-51	337.05	Office Use	30000	10111500	1011150	300
268	4B	COMMR	8038.20	Commercial	44000	353680800	35368080	440
269	7-B	GH-03	4497.10	GROUP HOUSING	31500	141658650	14165865	315
270	7-B	GH-04	4965.10	GROUP HOUSING	34650	172040715	17204072	347
271	7-B	COMMR	1811.80	COMMERCIAL	40000	72472000	7247200	400
272	8	CS	529.53	CON.SHOP	40000	21181200	2118120	400
SHATABDI NAGAR HOUSING SCHEME								
273	2	C-03	1480.00	Commercial	30800	45584000	4558400	308
274	2	C-3/1	933.34	Commercial	30800	28746872	2874687	308

275	3	Health Centre	1750.00	Health Centre	15400	26950000	2695000	154
276	3	Commercial	6656.00	Commercial	30800	205004800	20500480	308
277	4C-A	GH	4223.50	GROUP HOUSING	23100	97562850	9756285	231
278	4C-A	Health CENTRE	10000.00	Health CENTRE	15400	154000000	15400000	154
279	4c-A	Local Shopping Centre	12152.00		30800	374281600	37428160	308
280	4c-A	Library Community Facilites	3000.00	Library Community Facilites	15400	46200000	4620000	154
281	4C-D	C-18	200.00	Commercial	30800	6160000	616000	308
282	4C-D	C-19	250.00	Commercial	30800	7700000	770000	308
283	4C-D	C-20	120.00	Commercial	30800	3696000	369600	308
284	4C-D	C-21	120.00	Commercial	30800	3696000	369600	308
285	4C-D	C-22	120.00	Commercial	30800	3696000	369600	308
286	4C-D	C-23	120.00	Commercial	30800	3696000	369600	308
287	4C-D	C-24	250.00	Commercial	30800	7700000	770000	308
288	4C-E	C-3	100.00	Commercial	30800	3080000	308000	308
289	4C-E	C-6	62.43	Commercial	30800	1922844	192284	308
290	4C-E	C-7	63.69	Commercial	30800	1961652	196165	308
291	4C-E	C-8	64.95	Commercial	30800	2000460	200046	308
292	4C-E	C-9	66.21	Commercial	30800	2039268	203927	308
293	4C-E	C-10	90.32	Commercial	30800	2781856	278186	308
294	4C-E	C-11	59.00	Commercial	30800	1817200	181720	308
295	4C-E	C-12	60.00	Commercial	30800	1848000	184800	308
296	4C-E	C-13	60.00	Commercial	30800	1848000	184800	308
297	4C-E	C-14	60.00	Commercial	30800	1848000	184800	308
298	4C-E	C-15	60.00	Commercial	30800	1848000	184800	308
299	4C-G	Conv. Shopping	2100.00	Conv. Shopping	30800	64680000	6468000	308
300	4C-G	Community Facilites	12200.00	Community Facilites	15400	187880000	18788000	154
301	AIRPORT ENCLAVE	C-1	1933.30		30800	59545640	5954564	308
302	AIRPORT ENCLAVE	C-2	1918.20	Commercial	30800	59080560	5908056	308

303	AIRPORT ENCLAVE	C-1	1933.1	HOTAL	30800	59539480	5953948	308
304	AIRPORT ENCLAVE	C-2	1896.3	HOTAL	30800	58406040	5840604	308
SPORTS GOODS COMPLEX SCHEME								
305	B	Raw Material DEPO	1785.00	Raw Material DEPO	55200	98532000	9853200	552
Schemewise Detail of Educational Plots.								
GANGA NAGAR HOUSING SCHEME								
306	I	PS	3400.00	PRIMARY SCHOOL	19500	66300000	6630000	195
307	L	NS/PS	1986.16	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	21450	42603132	4260313	215
VED VIYASPURI HOUSING SCHEME								
308	4B	HS	2557.46	HIGH SCHOOL	20000	51149200	5114920	200
DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME								
309	D	DC	10008.00	DEGREE COLLEGE	15700	157125600	15712560	157
SHATABDI NAGAR HOUSING SCHEME								
310	4C/A	NS/PS	3853.27	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	15400	59340358	5934036	154
311	4C/A	MI	13480.40	MANAGEMENT INSTITUTE	15400	207598160	20759816	154
312	4B/B	NS/PS	4580.00	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	15400	70532000	7053200	154
313	4C/C	NS/PS	3150.00	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	15400	48510000	4851000	154
314	4C/E	NS/PS	6844.00	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	15400	105397600	10539760	154